

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18112025-267720
SG-DL-E-18112025-267720असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]	दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/ कार्तिक 21, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 328
No. 349]	DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/ KARTIKA 21, 1947	[N. C. T. D. No. 328

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIयोजना विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)अधिसूचना
दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

सं DES-J011(12)/1/2025-ASL-O/o Dir-DES (E- 265959)/ 5691-94—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) ,यथा संशोधित 2017 (2017 का 21) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जन विश्वास अधिनियम (प्रावधानों का संशोधन), 2023)2023 का संख्या 18) के साथ पढ़ते हुए, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2024 के नियम 5 और 7 के साथ पढ़ते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के माननीय उपराज्यपाल एतद्वारा एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से विनिर्माण और संबंधित गतिविधियों पर आंकड़ों के संग्रह का निर्देश देते हैं, जिसे अनुसूची-I में उल्लिखित विवरण के अनुसार 'वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 (राज्य नमूना)' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 4, 15ए और 15बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि संशोधित किया गया है, सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2024 के नियम 7 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, इसमें उल्लिखित भौगोलिक इकाइयों के संबंध में अनुसूची-II में निर्दिष्ट अधिकारियों को सांख्यिकी अधिकारी, अनुसूची-III में न्यायनिर्णायक अधिकारी और अनुसूची-IV में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।”

3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्धारित प्रारूप में उपक्रम प्रस्तुत करने के बाद, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2024 के साथ संलग्न प्रपत्र-I पर सूचकों द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन, प्रासंगिक रिकॉर्ड का निरीक्षण और सूचनादाताओं से स्पष्टीकरण मांगने के लिए सांख्यिकी अधिकारी के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में नियुक्त किए जाएंगे। इन कर्तव्यों के अनुसार, अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति एक फोटो पहचान पत्र और संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा।

4. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में भाग-I और भाग-II में एकत्र किए गए आँकड़े, उचित सत्यापन और जांच के बाद, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों द्वारा संसाधित किए जाएंगे।

5. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में सांख्यिकी संग्रह, डेटा के प्रसंस्करण और प्रसार के संबंध में किसी भी गतिविधि में लगे सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 यथा संशोधित 2017 (2017 का 21) और जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 का सं 18 और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2024 के तहत प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

6. सांख्यिकी अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:

(क) सांख्यिकी अधिकारी को उपरोक्त निर्देशों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने, व्यावसायिक रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर सूचनादाताओं द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने और किसी मालिक या अधिभोगी या व्यक्ति या कारखाने या प्रतिष्ठान या प्रबंधन का प्रभारी, जैसा भी मामला हो, उस परिसर में जहां ऐसे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है।

(ख) सांख्यिकी अधिकारी को सांख्यिकी के संग्रह के उद्देश्य से निर्दिष्ट प्रारूप में रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक सूचनादाता को एक महीने का नोटिस या उचित समझी गई अवधि देने का अधिकार है।

7. न्यायनिर्णायक अधिकारी की शक्तियां- जांच करने और जुर्माना लगाने के लिए अधिनियम की धारा 15ए के तहत नियुक्त एक न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी-

(i) शपथ पर या पक्षकारों से शपथपत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य के लिए बुलाना, जिसके अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति से भी है, जिसे समन किया गया है;

(ii) प्रासंगिक दस्तावेजों, अभिलेखों या उसकी प्रतियों का उपयोग या निरीक्षण करना;

(iii) किसी भी व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है, उपस्थित होने के लिए बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना। जिला प्रशासन सहित कोई भी उपयुक्त एजेंसी अधिनियम के तहत नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करने के संबंध में एक संदर्भ प्राप्त करने पर ऐसी सहायता प्रदान करेगी।

8. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील-

(1) सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अपने किसी भी अधिकारी को निर्णायक अधिकारी के पद से ऊपर नियुक्त कर सकती है।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित हो, वह प्रपत्र-3 में आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(3) अपील तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी स्वीकार की जा सकती है यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण था। यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी गई है, तो अपील के निपटान तक न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के संचालन को स्थगित रखा जाएगा।

(4) जब भी, ऐसी अपील प्राप्त होती है, तो अपीलीय प्राधिकारी व्यक्तिगत या आभासी या किसी अन्य स्वीकार्य मोड द्वारा सुनवाई करेगा, जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।

(5) अपीलीय प्राधिकारी पक्षों को सुनवाई की एक सूचना जारी करेगा, जिसमें मामले के नाम, तिथि, स्थान और सुनवाई के तरीके से परिचित व्यक्ति शामिल हैं, अपील पर रसीद के प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ, कम से कम पंद्रह दिन पहले सुनवाई की निर्धारित तिथि।

(6) सुनवाई की सूचना भी लिखित संचार प्रस्तुत करने के लिए प्रदान कर सकती है, जो पार्टियों द्वारा अपील तय करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है, यदि वे सुनवाई की तारीख से कम से कम पांच दिन पहले चाहते हैं।

(7) सुनवाई की सूचना निम्नलिखित तरीकों से दी जाएगी, अर्थात्: -

(1) स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक;

(2) इलेक्ट्रॉनिक पता उपलब्ध होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा;

डिलीवरी का प्रमाण केस फाइल के रिकॉर्ड पर रखा जाएगा।

(8) मामले की सुनवाई के समय, यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तय की गई सुनवाई के निर्दिष्ट तरीके से पक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।

(9) अपील प्राधिकारी, अपील को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

अनुसूची-I

1. **सांख्यिकी संग्रहण का विषय और उद्देश्य:-**संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, संरचना और संरचना से संबंधित आंकड़े जिसमें विनिर्माण प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, गैस और जल आपूर्ति और कोल्ड स्टोरेज से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं, उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण 2023-24 के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं।

2. **सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र:-** वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 दिल्ली के पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा।

3. **आँकड़ा संग्रह की विधि:-**सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें उस तारीख का संकेत दिया जाएगा, जिसके द्वारा अधिकारी या कार्यालय, जिसके लिए, इकाई या इकाइयां, और जिन प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। सांख्यिकी अधिकारी एक सूचनादाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्धारित जानकारी दाखिल करने की अनुमति दे सकता है, ऐसी अन्य शर्तों के अधीन जो वह नोटिस में निर्दिष्ट कर सकता है।

4. **सूचनादाताओं की प्रकृति जिनसे आँकड़ा एकत्र किया जा सकता है:-** सूचनादाता कारखाना अधिनियम 1948 या बीडी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों या निम्नलिखित में से किसी भी

अधिनियम / बोर्ड / प्राधिकरण के तहत पंजीकृत इकाइयां, जैसे कंपनी अधिनियम, 2013, दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समितियां अधिनियम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केंद्र) के तहत पंजीकृत कारखानों के मालिक या अधिभोगी या प्रभारी व्यक्ति हैं। जिन्हें उपरोक्त निर्देश के तहत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा।

4.1. एक सांख्यिकी अधिकारी को एकल प्रबंधन के तहत दो या दो से अधिक इकाइयों के संबंध में समेकित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ऐसे मालिक या अधिभोगी या प्रभारी व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है, यदि जानकारी व्यक्तिगत इकाइयों के लिए अलग से उपलब्ध नहीं है और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन, जैसा कि वह नोटिस में निर्दिष्ट कर सकता है।

5. **सांख्यिकी संग्रहण का कार्य सम्पन्न करने की अवधि:** - प्रत्येक सूचनादाता द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख नोटिस में किया जाएगा और यह अवधि सितंबर, 2025 से फरवरी, 2026 के दौरान होगी।

6. **संदर्भ अवधि:** 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले और 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए या 1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च 2024 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होने वाली इकाई के लेखा वर्ष के लिए जानकारी प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

7. **एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति:**-आवश्यक जानकारी के दो भाग होते हैं। भाग-I- संपत्ति और देनदारियों, रोजगार और श्रम लागत, प्राप्तियों, व्ययों, इनपुट वस्तुओं - स्वदेशी और आयातित, उत्पादों और उप-उत्पादों, वितरण व्यय आदि की जानकारी से संबंधित है। भाग-II श्रम सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी से संबंधित है, अर्थात् कार्य दिवस, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, मानव घंटे काम, कमाई और सामाजिक सुरक्षा लाभ।

8. **भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा जानकारी दी जानी है:**-प्रत्येक सूचनादाता निर्धारित प्रारूप में या तो हिंदी में या अंग्रेजी में जानकारी प्रस्तुत करेगा।

9. **सूचनादाता का दायित्व:**- एक इकाई का मालिक या अधिभोगी या प्रभारी व्यक्ति, सांख्यिकी अधिकारी से उसके द्वारा प्राप्त नोटिस में उल्लिखित तरीके से और निर्धारित तारीख तक जानकारी प्रस्तुत करेगा। वह सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर उसे निरीक्षण के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा, और मांगी गई जानकारी के संबंध में प्रश्नों का उत्तर भी देगा।

10. **व्यवसाय अभिलेखों की प्रकृति और अन्य रिकॉर्ड जिनका निरीक्षण किया जाना:** - इकाई के व्यावसायिक रिकॉर्ड जैसे बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, मस्टर रोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, वेतन नामावली, निदेशक की रिपोर्ट या समर्थन में कोई अन्य कानूनी दस्तावेज इकाई द्वारा प्रस्तुत जानकारी का निरीक्षण सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

11. **निरीक्षण का तरीका:**-सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति इकाई के व्यावसायिक रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्त निर्देश के तहत एक इकाई द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित कर सकता है और उस परिसर में स्पष्टीकरण मांग सकता है जहां ऐसे रिकॉर्ड रखे जाते हैं।

अनुसूची II

क्रम सं.	सांख्यिकी अधिकारी	अधिकार क्षेत्र राज्य/संघ क्षेत्र	पता
1	सहायक निदेशक(ASI), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, तीसरी मंजिल, बी-खंड, विकास भवन-II, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054

अनुसूची III

क्रम सं.	न्यायनिर्णायक अधिकारी	अधिकार क्षेत्र राज्य/संघ क्षेत्र	पता
1	उप निदेशक (ASI), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, तीसरी मंजिल, बी-खंड, विकास भवन-II, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054

अनुसूची IV

क्रम सं.	अपीलीय प्राधिकारी	अधिकार क्षेत्र राज्य/संघ क्षेत्र	पता
1	संयुक्त निदेशक, (ASI), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, तीसरी मंजिल, बी-खंड, विकास भवन-II, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
प्रेमानंद प्रुस्टी , निदेशक (डीईएस)

PLANNING DEPARTMENT**(Directorate of Economics and Statistics)****NOTIFICATION**

Delhi, the 12th November, 2025

NO. DES-J011(12)/1/2025-ASI-O/o Dir-DES (E- 265959)/5691-94—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), as amended in 2017 (21 of 2017) and through THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2023 NO. 18 OF 2023 in 2023, read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2024, Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs Collection of Statistics on manufacturing and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as 'Annual Survey of Industries 2023-24 (State Sample)', as per the details mentioned in the Schedule-I.

- In exercise of the powers conferred by Sections 4, 15A and 15B of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), as amended, read with Rule 7 of the Collection of Statistics Rules, 2024, the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the officers specified in Schedule-II as Statistics Officer, in Schedule-III as Adjudicating Officer, and in Schedule-IV as Appellate Authority, in respect of the geographical units mentioned therein.
- The persons authorized by the concerned Statistics Officer, after submission of undertaking in the prescribed format, namely, Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2024 to the Statistics Officer, would be engaged in the geographical jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by informants, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary, from informants. In accordance with these duties, each person authorized would carry a photo identity card and a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer.

4. The statistics collected in Part-I and Part-II in respect of the Annual Survey of Industries 2023-24 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Directorate of Economics and Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi.
5. All persons engaged in any activity in respect of collection of statistics, processing of data and dissemination with respect to ASI 2023-24 are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 as amended in 2017 (21 of 2017) and through THE JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2023 NO. 18 OF 2023 in 2023 and the Collection of Statistics Rules, 2024.
6. **Following powers have been delegated to the Statistics Officers:**
 - (a) A Statistics Officer is empowered to depute/authorize officials to collect statistics in respect of the aforementioned direction, to verify any information furnished by informants on the basis of business records and other records and to seek clarifications from any owner or occupier or person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, at the premises where such records are kept.
 - (b) A Statistics Officer is empowered to give one month notice or for the period deemed fit to each of the informant for furnishing return in the format, specified for the purpose of collection of statistics.
7. Powers of the adjudicating officer- An adjudicating officer appointed under section 15A of the Act to hold an inquiry and impose penalty, shall also have the powers to-
 - (i) call for oral or written evidence on oath or on affidavit from parties including from any other person who has been summoned;
 - (ii) peruse or inspect relevant documents, records or copies thereof;
 - (iii) summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case. Any appropriate agency including the District Administration shall render such assistance on receiving a reference regarding enforcing the attendance of any person while discharging the duties of the adjudicating officer appointed under the Act.
8. Appeal against the order of adjudicating officer-
 - (1) The Government may appoint any of its officers, above the rank of adjudicating officer, as an appellate authority under the provisions of the Act.
 - (2) Whoever aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under this Act, may prefer an appeal to the appellate authority, within thirty days from the date of receipt of order, in Form-III.
 - (3) An appeal may be admitted even after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. In case the appeal has been preferred against the order of the adjudicating officer, the operation of the order of the adjudicating officer shall be kept in abeyance, till the disposal of the appeal.
 - (4) Whenever, such an appeal is received, the appellate authority shall hold a hearing, either in person or virtual or by any other admissible mode, as may be decided by the appellate authority.
 - (5) The appellate authority shall issue a notice of hearing to the parties, including persons acquainted with the facts and circumstances of the case, by name, date, venue and mode of hearing, along with the relevant documents of the receipt on appeal, at least fifteen days before the scheduled date of hearing.
 - (6) The notice of hearing may also provide for submission of written communication, which may be relevant for deciding the appeal, by the parties, if they so desire at least five days before the date of hearing.
 - (7) The notice of hearing shall be served in the following modes, namely:—
 - a. by speed post or registered post;
 - b. by electronic mail in case electronic address is available;and proof of deliveries shall be kept on the record of the case file.
 - (8) The parties may be present in person or through his duly authorised representative by the specified mode of hearing as decided by the appellate authority including video conferencing, if the facility of video conferencing is available, at the time of hearing of the case.
 - (9) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit.

SCHEDULE-I

1. **Subject and purpose for collection of Statistics:-**Statistics relating to the growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage is collected through Annual Survey of Industries 2023-24.
2. **Geographical area for collection of Statistics:-**The Annual Survey of Industries 2023-24 will be conducted in the whole of National Capital Territory of Delhi.
3. **Method of data collection:-**A notice will be issued by the Statistics Officer to the informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. The Statistics Officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.
4. **Nature of informants from whom data may be collected:-**The informants are owners or occupiers or person in-charge, of factories registered under the Factories Act, 1948 or of establishments registered under the Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 or the units registered under any of the following Acts/Boards/Authority viz., Companies Act, 2013, Shops and Commercial Establishments Act, Societies Registration Act, Cooperative Societies Act, Khadi and Village Industries Board, Directorate of Industries (District Industries Centre) who would be issued notice by Statistics Officer for furnishing information under the aforementioned direction.

4.1. A Statistics Officer may require such owner or occupier or person in-charge to furnish consolidated information in respect of two or more units under single management, in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions, as he may specify, in the notice.
5. **Period during which collection of Statistics may be completed:-**The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would fall during **September, 2025 to February, 2026.**
6. **Reference Period:** Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1st April 2023 and ending on 31st March 2024 or for the accounting year of a unit ending on any date between 1st April 2023 and on 31st March 2024.
7. **Nature of information to be collected:-**The information required has two parts. Part-I relates to information on assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items - indigenous and imported, products and by-products, distributive expenses etc. Part-II relates to information on different aspects of labour statistics, namely, working days, mandays worked, absenteeism, labour turnover, man-hours worked, earning and social security benefits.
8. **Language in which information is to be furnished by informant:-**Every informant shall furnish information in the prescribed format either in Hindi or in English.
9. **Obligation of informant:-**The owner or occupier or person in charge of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.
10. **Nature of business records and other records which may be inspected:-**Business records of a unit such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.
11. **The manner of inspection:-**The Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished by a unit under the aforementioned direction on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications, at the premises where such records are kept, from the concerned owner or occupier or a person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, or a person authorized by him of the unit.

SCHEDULE-II

S.No.	Statistics Officer	Jurisdiction State/Union Territory	Address
1	Assistant Director (ASI) DES, Delhi	National Capital Territory of Delhi	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of NCT of Delhi, 3rd Floor, B-wing, Vikas Bhawan-II, Civil Lines, Delhi-110054

SCHEDULE-III

S.No.	Adjudicating Officer	Jurisdiction State/Union Territory	Address
1	Deputy Director (ASI) DES, Delhi	National Capital Territory of Delhi	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of NCT of Delhi, 3rd Floor, B-wing, Vikas Bhawan-II, Civil Lines, Delhi-110054

SCHEDULE-IV

S.No.	Appellate Authority	Jurisdiction State/Union Territory	Address
1	Joint Director (ASI) DES, Delhi	National Capital Territory of Delhi	Directorate of Economics & Statistics, Govt. of NCT of Delhi, 3rd Floor, B-wing, Vikas Bhawan-II, Civil Lines, Delhi-110054

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PREMANANDA PRUSTY, Director (DES)